[2021] 5 एस. सी. आर 243

आचार सिंह

वी.

हिमाचल प्रदेश का राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1140–1141 2010)

07 मई, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कान्ट और

अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 378 – मामले में अपील

दोषमुक्त करने का-उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग -

तथ्यों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने दो अभियुक्तों-अपीलार्थियों को अपराधों के लिए दोषी ठहराया। 452 , 326 और 323 और u/ss। 302 और क्रमशः आई. पी. सी. 452,

निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार करना-के साथ हस्तक्षेप

आयोजित किया गया: उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया

ट्रायल कोर्ट और दोषसिद्धि द्वारा न्याय के गर्भपात को रोका अपीलार्थी उच्च न्यायालय ने सुसंगत साक्षय का अध्ययन किया

कुछ अभियुक्तों के खिलाफ जिन्हें मुकदमे द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था

साक्षय में अराजकता के बीच, और साक्षय के आधार पर, एक अभियुक्त यू/एस को दोषी ठहराया। 302 आई. पी. सी. और अन्य यू/एस. 326 और 323

आई. पी. सी.-निचली अदालत ने एक आधारहीन आधार के साथ आगे बढ़ते हुए विश्वसनीय और सुसंगत साक्षय की अनदेखी करने में गलती की कि

चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए अतिरंजित बयान उनके कथन को गलत मानते हैं

कई विरोधाभासों के कारण ट्रायल कोर्ट पहचान करने में विफल रहा और

अभियुक्त के खिलाफ सामग्री स्वीकार्य साक्षय की सराहना करें-इस प्रकार,

प्रासंगिक सामग्री की अज्ञानता में निचली अदालत का निष्कर्ष अभिलेख पर विकृत था और उच्च से हस्तक्षेप का आह्वान किया गया था

न्यायालय दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 , 323 , 326 , 452 – सबूत

-

चश्मदीद गवाह।

आपराधिक न्यायशास्त्र: कार्डिनल शासन-आयोजित: प्रत्येक व्यक्ति

दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है-यह अनिवार्य है

अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए सिवाय जहां

निर्दोषता की धारणा को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया है-निर्दोषता की यह धारणा तब दोगुनी हो जाती है जब एक सक्षम न्यायालय भौतिक साक्षय का विश्लेषण करता है, गवाहों की जांच करता है और दोषियों को बरी कर देता है।

अभियुक्त-जब दो उचित और संभावित विचार उत्पन्न होते हैं, तो एक

अभियुक्त के पक्ष में अपनाया जाता है-ऐसे मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाता है जब तक कि निर्णय लेने में विकृति का पता नहीं चलता है।

[2021] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रिया-हालांकि, यह व्याख्या नहीं की जा सकती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ "अपील की रूपरेखा" यह देखने तक सीमित है कि क्या

या नहीं, निचली अदालत का दृष्टिकोण असंभव था-बरी किए जाने के खिलाफ अपील में साक्षय की फिर से सराहना करने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई रोक नहीं है। आपराधिक मुकदमा: साक्षय की प्रशंसा-आयोजित: हत्याओं की मौतों को भगवान के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता है-न्यायपालिका-न्यायालय को सच्चाई तक पहुंचने की अपनी खोज में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए-जब न्यायालय अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहता है, तो यह संदेह का लाभ बढ़ाता है।

प्रमाण: स्वीकार्यता-जब गवाह अतिशयोक्ति करते हैं-आयोजित: अतिशयोक्तियों के मामले में, अदालत का ध्यान रखना

सत्य और असत्य के बीच अंतर, कर्तव्य है कि 'सत्य' को 'असत्य' से प्रसारित किया जाए-एक गवाह द्वारा दिए गए साक्षय को इस आधार पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह अतिरंजित है-यह है केवल ऐसे मामले में जहां साक्षय इतने अटूट रूप से जुड़े हुए हैं कि उनके अलग होने में कोई वास्तविक साक्षय नहीं बचता है, कि पूरे साक्षय को खारिज किया जा सकता है।

शब्द और वाक्यांश - अभिव्यक्ति 'अतिशयोक्ति'-का अर्थ।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. उच्च न्यायालय निचली अदालत के विकृत निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के योग्य था और उसने रोक लगा दी है भूसी से अनाज को अलग करके न्याय की विफलता के कारण अपीलार्थियों को दोषी ठहराया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 452,326 और 323 के तहत ए. एस. की दोषसिद्धि और आई. पी. सी. की धारा 302 और 452 के तहत बी. एस. की दोषसिद्धि बरकरार रखी गई है। [पैरा 37,38] [267-बी-डी]

2.1 आपराधिक न्यायशास्त्र में यह मौलिक है कि प्रत्येक

व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, क्योंकि आपराधिक आरोप बिना अपराधी के किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए संदिग्ध को निर्दोष माना जाता है आरोप और निर्णय के बीच का अंतराल। इतिहास बताता है कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियुक्त पर बोझ की जड़ें प्राचीन काल से हैं। हम्मुराबी की बेबीलोनियन संहिता (1792-1750 BC), कानून की सबसे पुरानी लिखित संहिताओं में से एक है, जो आरोप लगाने वाले पर सबूत का बोझ डालती है। रोमन कानून ने आचार सिंह बनाम सिद्धांत गढ़ा।

हिमाचल प्रदेश का राज्य

ऐक्टेरि इन्कम्बित (ऑनस) प्रोबेशिओ (सबूत का भार)

वादी पर) अर्थात अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है। [पैरा 13] [257-डी-ई]

2.2 भारत में सामान्य कानून आपराधिक न्यायशास्त्र की एक विशेषता यह भी है कि एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। अभियोजन पक्ष के लिए यह अनिवार्य है कि वह अभियुक्त के अपराध को स्थापित करे, सिवाय इसके कि जहां साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 113-बी के तहत निर्दोषता के अनुमान को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत गारंटीकृत 'मौन का अधिकार' अनुमानित निर्दोषता के पहलुओं में से एक है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की योजना के साथ पढ़ा गया संवैधानिक जनादेश इस बात को बढ़ाता है कि

जब तक अभियुक्त दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक निर्दोष होने का अनुमान भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह निर्दोषता की धारणा तब दोगुनी हो जाती है जब एक सक्षम न्यायालय भौतिक साक्षय का विश्लेषण करता है, गवाहों की जांच करता है और आरोपी को बरी कर देता है। अमूल्य अधिकारों के इस मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय न्यायालयों ने एक आत्म-संयम नीति विकसित की है, जिसके तहत जब दो उचित और संभावित विचार उत्पन्न होते हैं, तो निचली अदालत की गवाहों के साथ निकटता और साक्षय के साथ सीधे बातचीत का सम्मान करते हुए अभियुक्त के पक्ष में एक विचार अपनाया जाता है। ऐसे मामलों में, हस्तक्षेप को तब तक बाधित नहीं किया जाता जब तक कि

दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के निर्णयों के विरुद्ध और यह कि अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है, आत्म-संयम के बावजूद जो दोषमुक्ति के आदेशों से निपटने के दौरान व्यवहार में शामिल किया गया है जहां दोहरे अनुमान हैं अभियुक्त की निर्दोषता। [पैरा 14,15] [257-जी; 258-ए-जी] [2021] 5 एस. सी. आर.

2.3 "अतिशयोक्ति" और "अतिशयोक्तिपूर्ण" अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट रूप से सुझाव देती हैं कि एक "अतिशयोक्तिपूर्ण" की उत्पत्ति

कथन 'एक सच्चे तथ्य में निहित है, जिसमें काल्पनिक परिवर्धन किए जाते हैं ताकि इसे और अधिक भेदक बनाया जा सके। इसलिए, प्रत्येक अतिशयोक्ति में 'सत्य' के तत्व होते हैं। सत्य के तत्व के बिना कोई अतिरंजित कथन संभव नहीं है। दूसरी ओर, गलत अभिव्यक्ति को भी परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार, एक चिह्नित है

एक 'अतिरंजित संस्करण' और एक 'गलत संस्करण' के बीच अंतर। एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन में सच्चाई और झूठ दोनों होते हैं, जबकि एक झूठे कथन में सच्चाई का कोई कण नहीं होता है ('सच' के 'विपरीत' होने के कारण)। यह अच्छी तरह से कहा जाता है कि तिल से पहाड़ बनाने के लिए, तिल का अस्तित्व मुख्य रूप से होना चाहिए। एक न्यायालय, होने के नाते

इस तरह के भेद को ध्यान में रखते हुए 'झूठ' से 'सत्य' का प्रसार करना और अतिशयोक्ति के मामले में भूसे से अनाज निकालना कर्तव्य है। यह केवल एक ऐसे मामले में है जहां अनाज और भूसी इतने अटूट रूप से जुड़े हुए हैं कि उनके अलग होने में कोई वास्तविक सबूत नहीं बचा है, कि पूरे सबूत को त्याग दिया जा सकता है। [पैरा 24] [262-ए-डी]

कैम्ब्रिज शब्दकोश; मेरियम-वेबस्टर; संक्षिप्त

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी; एडवांस लॉ लेक्सिकन; ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त शब्दकोश-संदर्भित।

2.4 ऐसा कोई दावा नहीं है कि हत्या की मौतों को न्यायपालिका पर नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायालय को सच्चाई तक पहुँचने की अपनी खोज में काली रेत के ढेर से सोना निकालने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। प्रामाणिकता का पता लगाना गंभीर कर्तव्य है। यह तभी होता है जब न्यायालय, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहता है कि संदेह का लाभ बढ़ाया जाता है। [पैरा 26] [263-बी]

3.1 तत्काल मामले में निचली अदालत ने सही कहा कि कई अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में सबूत अराजक थे

और उनकी भागीदारी के बारे में कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं बनाया जा सका। उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के विचार को साझा किया और साक्षय के भीतर अतिशयोक्ति और विरोधाभासों के बारे में चिंता व्यक्त की। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा कई लोगों को फंसाने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कुछ अभियुक्तों के खिलाफ लगातार सबूतों के तारों को चित्रित किया,

जिन्हें अराजकता के बीच निचली अदालत ने नजरअंदाज कर दिया था। [पैरा 16] [258-जी; 259-ए-बी] आचार सिंह बनाम।

हिमाचल प्रदेश का राज्य

3.2 बयानों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही कई बार कुल्हाड़ी चलाने की अतिशयोक्ति दी जा रही हो

अनुचित और अनावश्यक। तथ्य यह है कि बी. एस. ने एस. डी. के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, यह जानते हुए कि एक बूढ़ी महिला के महत्वपूर्ण शरीर के हिस्से पर कुल्हाड़ी से वार करने से उसकी मौत हो सकती है, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए उसकी सजा को सही ठहराता है। ए. एस. के लिए, बी. आर. (चेहरे और पीछे की खोपड़ी पर चीरे के घावों के साथ-साथ चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर) द्वारा लगी चोटों को गंभीर और साधारण चोटों का एक संयोजन माना जाता है जो तेज और कुंद धार वाले हथियारों दोनों के कारण हुई हैं। विचार करें। कि सभी गवाह बी. आर. पर कुल्हाड़ी से ए. एस. के हमले के बारे में सुसंगत रहे हैं, आई. पी. सी. की धारा 326 और 323 के तहत उनकी दोषसिद्धि को दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। [पैरा 21,22] [261-ए-ई]

3.3 अपीलार्थियों का तर्क कि पीडब्लू. 1, P.W.11 या P.W.12 की गवाही पूरी तरह से अविश्वसनीय और इसके साथ असंगत थी

अभिलेख पर साक्षय। इस तथ्य के बावजूद कि घटना के कमरे के अंदर कई व्यक्तियों की उपस्थिति ने अराजकता पैदा कर दी और ऐसे व्यक्तियों में से कुछ दर्शक या बाड़ लगाने वाले थे, प्रत्यक्षदर्शी यह देखने में सक्षम हुए हैं कि मृतक को घातक प्रहार बी. एस. के अलावा किसी और के कारण नहीं हुआ था। [पैरा 23] [261-ई-जी]

3.4 दूसरों की तुलना में एक चश्मदीद गवाह को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। पी. डब्ल्यू. 1, P.W.11 और P.W.12 के कथन, इसलिए, [2021] 5 एस. सी. आर. हैं।

तदनुसार विश्लेषण किया जाता है, जबकि अंतर को ध्यान में रखते हुए

अतिशयोक्ति और झूठ के बीच। उनके बयानों से सच्चाई को आसानी से निकाला जा सकता है। निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से गंभीर गलती की और विश्वसनीय और सुसंगत साक्षय की अनदेखी की एक आधारहीन आधार के साथ आगे बढ़ते हुए कि चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए अतिरंजित बयान उनके कथन को गलत साबित करते हैं। तत्काल मामले में, निचली अदालत कई विरोधाभासों से अभिभूत होने के कारण अपीलार्थियों के खिलाफ सामग्री स्वीकार्य साक्षय की पहचान करने और उनकी सराहना करने में विफल रही। निचली अदालत ने खुद को गलत निष्कर्ष पर पहुँचाया। अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री की अज्ञानता में निचली अदालत का निष्कर्ष निस्संदेह "विकृत" था और उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप का आह्वान किया गया था। [पैरा 27-29]

[263 - सी-ई; 264-ए]

3.6 अपीलकर्ताओं ने कहा कि चूंकि कुल्हाड़ी एक सार्वजनिक स्थान से बरामद की गई थी, इसलिए इसे बी. एस. के कब्जे में नहीं रखा जाना चाहिए था या एन. एस. (जिसके साथ समानता मांगी गई थी) से भी कुल्हाड़ी बरामद की गई थी, इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह ग्रामीण हिमाचल में एक किसान समुदाय था जहां कुल्हाड़ी जैसे उपकरण सभी के घरों में पाए जाते हैं। यह निवेदन कि घटना स्थल संदिग्ध था क्योंकि घर के बाहर रक्त के निशान थे जैसा कि P.W.16-ASI द्वारा अपदस्थ किया गया था, कोई बल नहीं है। कहीं और यादृच्छिक रक्त के निशान की उपस्थिति इस तथ्य पर संदेह नहीं कर सकी कि यह घटना शिकायतकर्ता के घर में हुई थी जहाँ से उसी गवाह ने लाठियाँ, खून से सना हुआ पत्थर, कांच के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े और बचा हुआ भोजन आदि बरामद किया था। द. तथ्य यह है कि ए. एस. आई. को रक्त के निशानों की जांच करने के लिए आवश्यक या सामग्री भी नहीं मिली, यह दर्शाता है कि उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ा।

हिमाचल प्रदेश का राज्य

खोजी निष्कर्षों पर। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्र गवाह P.W.14 ने भी दरवाजे के टूटे हुए टुकड़ों, टूटे हुए बल्ब, पत्थरों, खून के धब्बों की बरामदगी की पुष्टि की शिकायतकर्ता के घर से मिट्टी आदि। [पैरा 31] [265-ए-डी]

3.7 कई कथित राहगीरों से पूछताछ न किए जाने की अच्छी तरह से व्याख्या की गई है क्योंकि इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के परिवार ने गाँव के कुछ लोगों के साथ पहले मुकदमा किया था और उनमें से अधिकांश ने पीड़ित के परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया था। तथ्य यह है कि नौ व्यक्ति जिन पर शुरू में प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था लेकिन आरोप नहीं लगाया गया था

बाद में पेश किया गया, अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया जो समझने योग्य है। अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक उद्धृत या संभावित गवाह से पूछताछ करे। जब तक कि

अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे सबूत के परीक्षण का सामना कर सकता है, सभी या प्रत्येक गवाह की गैर-परीक्षा मायने नहीं रखती है।

[पैरा 32] [265-डी-एफ]

3.8 इसी तरह, पी. डब्ल्यू. 3-डॉक्टर के बयान पर निर्भर मृत्यु के वास्तविक समय पर संदेह आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। जैसा कि उन्होंने यह कहने के अलावा कि मृत्यु और पोस्टमॉर्टम के बीच का समय '10 घंटे के भीतर' था, यह भी कहा कि एस. डी. की मृत्यु और चोट के बीच का समय '5-10 मिनटों के भीतर' था, जिससे अभियोजन पक्ष के गवाहों का समर्थन किया गया जिन्होंने यह बयान दिया

चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। [पैरा 34] [266-डी] 3.9 जहां तक एन. एस. के संबंध में, जिसकी रिहाई को उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था, यह इंगित करना अनिवार्य है कि एफ. आई. आर., हालांकि नहीं

पूरी घटना का एक विश्वकोश, इसका सबसे सहज विवरण है। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि शिकायतकर्ता जो घटना का अपना विवरण दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए रात में सात घंटे पैदल चला, वह एनएस द्वारा अपनी मृत माँ पर एक घातक हथियार से घातक हमले का भी उल्लेख करना भूल जाएगा। शिकायतकर्ता की ओर से इस तरह की बड़ी चूक एन. एस. के खिलाफ उसके विलंबित आरोपों के संबंध में अदालत में उसकी गवाही का खंडन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सीय साक्षय भी नहीं है

एन. एस. के खिलाफ ऐसे आरोपों की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने केवल बी. एस. और ए. एस. के खिलाफ सुसंगत और पुष्ट साक्षय पर कार्रवाई की है जो एन. एस. के मामले में स्पष्ट रूप से गायब था। [पैरा 35] [266-ई-जी] [2021] 5 एस. सी. आर.

3.10 P.W.11 के बयान पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करना कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने से पहले नहीं आ सकती थी

अभियोजन पक्ष के मामले को हराना क्योंकि यह एक मामूली विरोधाभास है क्योंकि P.W.16 ASI ने बयान दिया है कि वह

24.02.1996 पर दोपहर 1 बजे शिकायतकर्ता का घर। यह निवेदन कि बी. एस. के लिए अपनी बेटी की शादी के दिन अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई शुरू करने का कोई कारण नहीं था, भी मदद नहीं करता है।

याचिकाकर्ता। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि उनकी बेटी की शादी घटना की तारीख से दो दिन पहले हुई थी और इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि क्या संबंधित समय पर शादी का समारोह चल रहा था। यहां तक कि बी. एस. ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में ऐसा नहीं कहा। [पैरा 36] [266-जी-एच; 267-ए-बी]

मुरुगेसन बनाम. राज्य (2012) 10 एससीसी 383: [2012] 13 एस. सी. आर. 1; अरुवेलु बनाम। राज्य (2009) 10 एससीसी 206: [2009] 14 एससीआर 1081; सलीम अख्तर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 5 एससीसी 499: [2003] 3 एस. सी. आर. 470; शेख हासिब @तबरक बनाम। बिहार राज्य (1972) 4 एस. सी. सी. 773; धर्म राम भागरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1973) 1 एससीसी 537: [1973] 3 एस. सी. आर. 92; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद (2004) 7 एस. सी. सी. 629: [2004] 3 पूरक। एससीआर 640; लीला राम बनाम। हरियाणा राज्य (1999) 9 एससीसी 525: [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 435; गंगाधर बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य (2002) 8 एससीसी 381: [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 183; प्रभु दयाल बनाम। राजस्थान राज्य (2018) 8 एस. सी. सी. 127; चंद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य (2007) 4 एससीसी 415: [2007]

2 एस. सी. आर. 630; आंध्र प्रदेश राज्य वी. एम.

मधुसूदन राव (2008) 15 एस. सी. सी. 582: [2008] 14 एस. सी. आर. 1170; रवीन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 869; हरि चंद बनाम दिल्ली राज्य (1996) 9 एस. सी. सी. 112; सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2003) 7 एससीसी 643: [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 35; बाबू बनाम। केरल राज्य (2010) 9 एससीसी 189: [2010] 9 एस. सी. आर. 1039; त्रिवेणी रबर और प्लास्टिक बनाम। सी. सी. ई. 1994 सप (3) एस. सी. सी.

665 : [1994] 3 पूरक। एस. सी. सी. 665; बसलिंगप्पा बनाम। मुदिबसप्पा (2019) 5 एस. सी. सी. 418: [2019] 6 एस. सी. आर. 555; मो. रोजाली अली बनाम।

असम राज्य (2019) 19 एस. सी. सी. 567; लालटू घोष बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2019) 15 एस. सी. सी. 344; आचार सिंह बनाम।

हिमाचल प्रदेश का राज्य

खुर्शीद अहमद बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (2018) 7 एस. सी. सी. 429:

[2018] 6 एससीआर 1121; षण्मुगम बनाम। राज्य (2013) 12 एस. सी. सी. 765 [2013] 10 एससीआर 99; सरवन सिंह बनाम। की स्थिति

पंजाब (1976) 4 एस. सी. सी. 369; दलीप सिंह बनाम। की स्थिति

पंजाब एयर 1953 एस. सी. 364: [1954] एससीआर 145-संदर्भित को।

वूलमिंगटन बनाम। लोक अभियोजन निदेशक [1935]

एसी 462 (एचएल)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 13 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2009] 14 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2003] 3 एससीआर 470

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

(1972) 4 एस. सी. सी. 773

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1973] 3 एससीआर 92

संदर्भित किया गया है

पैरा

8

[2004] 3 पूरक। एससीआर 640

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[1999] 3 पूरक। एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[2002] 3 पूरक। एससीआर 183

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

(2018) 8 एससीसी 127

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[2007] 2 एससीआर 630

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[2008] 14 एससीआर 1170

संदर्भित

को

पैरा

13

(1996) 9 एससीसी 112

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[2003] 2 पूरक। एससीआर 35

संदर्भित किया गया है

पैरा

24

[2010] 9 एससीआर 1039

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1994] 3 पूरक। एस. सी. सी. 665

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[2019] 6 एससीआर 555

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[1954] एससीआर 145

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

(2019) 19 एस. सी. सी. 567

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

(2019) 15 एस. सी. सी. 344

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

[2018] 6 एससीआर 1121

संदर्भित किया गया है

पैरा

30 [2021] 5 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2013] 10 एससीआर 99

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

(1976) 4 एस. सी. सी. 369

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

नं. 1140-1141 2010 से।

के 12.05.2010 और 27.05.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1998 की आपराधिक अपील संख्या 281 में शिमला में हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय।

के साथ

2010 की आपराधिक अपील सं. 1144

जे. एस. अत्री, आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रामेश्वर प्रसाद गोयल, आर.

आनंद पद्मनाभन, विष्णु पझांगनत, शशि भूषण कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अभिनव मुखर्जी, एएजी। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

अपीलार्थी अच्छर सिंह और बुधि सिंह इससे व्यथित हैं -

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित 12.05.2010/27.05.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश जिसके द्वारा अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया। सत्र न्यायाधीश, मंडी दिनांक 24.02.1998 को दरकिनार कर दिया गया है। नतीजतन, अच्छर सिंह को भारतीय दंड संहिता,

1860 (आई. पी. सी.) की धारा 452,326 और 323 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और कठोर दंड की सजा सुनाई गई है।

जुर्माने के साथ पांच साल की कैद, जबकि बुधि सिंह को आई. पी. सी. की धारा 302 और 452 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

तथ्यः 2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि 23.02.1996 की रात को,

शिकायतकर्ता नेतर सिंह की पत्नी (मीरा देवी, P.W.11) और माँ (स्वारी देवी) पास के गाँव में दूल्हे के घर पर शादी समारोह में शामिल हुए थे, जिसके साथ उनके पड़ोसी बुधि सिंह की बेटी की शादी हुई थी। दोनों महिलाएं 'धाम' (सामाजिक कार्यक्रमों में परोसा जाने वाला पारंपरिक भोजन) लेकर घर लौटीं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बुधि सिंह और कुछ अन्य ग्रामीणों द्वारा उनके सामाजिक बहिष्कार के कारण, नेतर सिंह का परिवार उनके घर पर किसी भी विवाह समारोह में शामिल नहीं हुआ था। लगभग रात 8 बजे जब शिकायतकर्ता और उसका परिवार आचार सिंह वी ले रहे थे।

हिमाचल प्रदेश का राज्य

[सूर्या कान्ट, जे।]

धाम, बुधि सिंह, अच्छर सिंह और कुछ अन्य ग्रामीण शिकायतकर्ता और उसके पिता (बेली राम, P.W.12) को बाहर आने के लिए चिल्लाते थे। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे, तो उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष को मारने के आरोपी के इरादे को महसूस किया। अपीलकर्ताओं और अन्य ग्रामीणों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा

घर तक पहुँचें और उनका दरवाज़ा बंद कर दें। हालांकि, हमलावरों ने दरवाजा तोड़ दिया और हथियार लेकर घर में प्रवेश किया। बुधि सिंह और अच्छर सिंह के पास कुल्हाड़ी थी, जबकि अन्य आरोपी दरांती, भाले और डंडों से लैस थे। आरोप है कि बूढ़ी सिंह ने स्वारी देवी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और अच्छर सिंह ने बेली राम को कुल्हाड़ी से मारा जिससे वह बेहोश हो गया। शिकायतकर्ता को अन्य ग्रामीणों ने कथित तौर पर लाठियों से भी पीटा, जिसके बाद वह किसी तरह छत तक भागने में कामयाब रहा। मीरा देवी ने हमलावरों से दया की गुहार लगाई और वे धमकी देते हुए चले गए कि अगर शिकायतकर्ता के परिवार ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया जाएगा।

3. इस बीच, बाहर खड़े गोविंद राम (डी. डब्ल्यू. 2) और बहादुर सहित कुछ ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया और आरोपी से मुलाकात की।

व्यक्ति हिंसा को रोकने के लिए जिसके लिए अभियुक्तों को मजबूर किया गया था

घटना स्थल को छोड़ दें। इसके बाद, लगभग 2 बजे: 00 शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत के प्रधान (ब्यास देवी-) के घर गया।

पक्षकारों के बीच शत्रुता और व्यापक मुकदमेबाजी ने गलत निहितार्थ की संभावना से इनकार नहीं किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा देर से अतिरंजित किए गए आरोपों को शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास माना गया। वर्तमान अपीलार्थियों की भूमिका के संबंध में, यह बताया गया कि प्राथमिकी के अनुसार, स्वारी बुधि सिंह द्वारा कुल्हाड़ी से मारे जाने के कारण देवी की मृत्यु हो गई और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी उनके व्यक्ति के सिर पर केवल एक चोट दिखाई दी।

हालाँकि, अभियोजन पक्ष के तीन चश्मदीद गवाह, नेतर सिंह-पीडब्लू. 1 (शिकायतकर्ता), मीरा देवी-P.W.11 और बेली राम-P.W.12 ने बयान दिया कि बुधि सिंह ने उसके सिर पर दो कुल्हाड़ी से वार किए और फिर नरिंदर सिंह (सह-आरोपी) ने भी मृतक के बाएं कान को दो बार कुल्हाड़ी से मारा। यह आगे देखा गया कि जबकि शिकायतकर्ता ने शुरू में कहा था कि उसका

अच्छर सिंह और प्रकाश (सह-अभियुक्त) द्वारा पिता के चेहरे पर हमला किया गया था, लेकिन अपने बयानों में घायल या चश्मदीद गवाहों ने हमलों के लिए अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को भी जिम्मेदार ठहराया है, जिनकी बेली राम की चिकित्सा कानूनी रिपोर्ट से पुष्टि नहीं हुई थी। उन्होंने सह-अभियुक्त प्रकाश पर हुए हमले की प्रकृति को भी बदल दिया।

5. निचली अदालत ने यह भी कहा कि चश्मदीद गवाह-गोविंद राम (डी. डब्ल्यू. 2) ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और ग्राम पंचायत प्रधान (ब्यास देवी-डी. डब्ल्यू. 1) ने कहा कि शिकायतकर्ता ने उसे केवल एक मामूली विवाद के बारे में सूचित किया जिसके बाद उसने उसे पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा पड़ोसी गांव में टेलीफोन नेटवर्क की अनुपलब्धता स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था, अदालत ने पाया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी उनके लिए घातक थी। अभियोजन। घटना स्थल पर यह देखकर भी संदेह हुआ कि गाँव की ओर जाने वाले मार्ग में खून के धब्बे देखे गए थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा परस्पर विरोधी अतिशयोक्तियों के साथ-साथ इस आरोप को ध्यान में रखते हुए कि लगभग सोलह व्यक्ति एक छोटे से कमरे में घुस गए और शिकायतकर्ता पक्ष पर विभिन्न घातक हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया, निचली अदालत किसी भी आरोपी को किसी विशेष चोट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकी और इस प्रकार संदेह का लाभ देते हुए उन सभी को बरी कर दिया।

6. उच्च न्यायालय ने पूरे साक्षय का पुनः मूल्यांकन करने पर अपीलकर्ताओं अच्छर सिंह और बुधि सिंह को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया।

हालाँकि इसने बाकी पाँच अभियुक्तों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। जबकि एफ. आई. आर. की सामग्री, गवाह की गवाही और चिकित्सा रिपोर्ट के बीच विरोधाभास को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थियों के खिलाफ लगातार सबूतों का एक धागा अभी भी रिकॉर्ड पर सामग्री से निकाला जा सकता है, चाहे वह कितना भी गड़बड़ क्यों न हो। शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा की गई अतिशयोक्तियों और सुधारों को दरकिनार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि बूढ़ी सिंह द्वारा स्वारी देवी के सिर पर पहले कुल्हाड़ी से वार करने के आरोप की पुष्टि प्राथमिकी, अभियोजन पक्ष के गवाहों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में की गई थी जिसमें एक धारदार हथियार से सिर पर घातक चोट का उल्लेख किया गया था और उससे कुल्हाड़ी बरामद की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि बेलीराम पर कुल्हाड़ी से हमले के संबंध में अच्छर सिंह के खिलाफ आरोप भी सुसंगत थे, और चिकित्सा साक्षय से पता चला कि कुछ चोटें कुल्हाड़ी के कारण हुई होंगी।

आचार सिंह बनाम। हिमाचल प्रदेश का राज्य

[सूर्या कान्ट, जे।]

7. यह देखा गया कि अपीलार्थी बुधि सिंह के दामाद होने के नाते गोविंद राम (डी. डब्ल्यू. 2) उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते थे। जबकि

प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने रात में बसों की अनुपलब्धता, क्षेत्र के इलाके और शिकायतकर्ता के घर और जोगिंदरनगर पुलिस स्टेशन (24 किलोमीटर) के बीच की दूरी पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि वह अगली सुबह तक वहां नहीं पहुंच सकता था। घटना स्थल के बारे में निचली अदालत के भ्रम के संबंध में, यह

यह माना गया कि टूटी हुई खिड़कियों के शीशे, कमरे में बिखरे हुए सामान, बचे हुए भोजन के साथ प्लेट आदि के बारे में सबूत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थे कि यह घटना कमरे के अंदर हुई थी और

कहीं और यादृच्छिक रक्त के निशान को अनुचित श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। यह भी देखा गया कि चूंकि बुधि सिंह की बेटी की शादी 21.02.1996 पर हुई थी, इसलिए घटना की रात को बुधि सिंह के घर पर कोई शादी समारोह नहीं हो सकता था। यह देखते हुए कि अभिलेख पर साक्षय ने स्वारी देवी को मारने या बेली राम को गंभीर चोट पहुँचाने के सामान्य इरादे का सुझाव नहीं दिया, अपीलार्थियों को उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इस प्रकार बुधि सिंह को आई. पी. सी. की धारा 242 और 452 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और आचार सिंह को आई. पी. सी. की धारा 452,326 और 323 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। वे अब उच्च न्यायालय द्वारा अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इस न्यायालय में आए हैं।

सामग्रीः

8. मुरुगेसन बनाम पर भरोसा करते हुए। राज्य ', के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

बुधि सिंह ने तर्क दिया कि जब तक निचली अदालत का विचार एक 'संभावित दृष्टिकोण' है, तब तक उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। अरुवेलु बनाम का हवाला देते हुए। राज्य 2, यह आग्रह किया गया था कि निचली अदालत के फैसले को केवल इसलिए दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलीय अदालत का विचार अधिक संभावित है और उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के योग्य होने के लिए निचली अदालत के फैसले में विकृति होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि गवाहों से उनकी निकटता के कारण, निचली अदालतें गवाहों की विश्वसनीयता का न्याय करने और अमूर्त टिप्पणियां करने के लिए लाभप्रद हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की अतिशयोक्ति करने और गलत तरीके से फंसाने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला और बताया कि चारों के सिर पर चोटें आई हैं मृतक के लिए जैसा कि नेत्र गवाहों द्वारा आरोप लगाया गया था, चिकित्सा साक्षय द्वारा गलत साबित किया गया था जिसमें केवल एक सिर की चोट दिखाई दी थी। यह भी था

1 1 (2012) 10 एससीसी 383।

2 (2009) 10 एससीसी 206।

अभियोजन पक्ष को भी इन नौ लोगों को गवाह के रूप में पेश करना चाहिए था। सलीम अख्तर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 3 को यह आग्रह करने के लिए उद्धृत किया गया था कि चूंकि कुल्हाड़ी एक सार्वजनिक स्थान से बरामद की गई थी, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि बुधि सिंह के पास बरामद वस्तु थी। इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट में बरामद कुल्हाड़ियों पर खून की कोई निर्णायक उपस्थिति नहीं बताई गई थी। 9. इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि बुधि सिंह के घर में एक विवाह समारोह चल रहा था, यह आग्रह किया गया कि उनके पास उत्सव के बीच में छोड़ने और अपने पड़ोसियों पर हमला करने का कोई कारण नहीं है। घटना के वास्तविक स्थान पर भी संदेह व्यक्त किया गया था कि P.W.16-ASI जैसी राम ने बयान दिया था कि घर के बाहर खून का निशान था। यह भी तर्क दिया गया कि नरिंदर सिंह पर मृतक के सिर पर कुल्हाड़ी से चोट पहुँचाने का भी आरोप लगाया गया था और उससे कुल्हाड़ी बरामद होने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने उसे बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया है। प्राथमिकी दर्ज करने के वास्तविक समय (सुबह 9.30 बजे दर्ज) पर संदेह व्यक्त किया गया था क्योंकि मीरा देवी ने अपनी जिरह में कहा था कि पुलिस सुबह 8 से 9 बजे पहुंची थी। तब यह दावा किया गया कि प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पुलिस नहीं आ सकती थी। मृतक की मृत्यु के सही समय पर भी संदेह व्यक्त किया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पी. डब्ल्यू. 3-डॉ. डी. डी. राणा, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया, के अनुसार मृत्यु और पोस्टमॉर्टम (सुबह 11 बजे) के बीच का समय '10 घंटे के भीतर' था।

10. अच्छर सिंह के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी इन दलीलों को दोहराया और उनके बयानों का एक स्पष्ट संदर्भ दिया। चश्मदीद गवाह जिनके अनुसार, अच्छर के अलावा कुछ अन्य आरोपी

सिंह ने भी बेली राम को अपने-अपने हथियारों से मारा था। यह दावा किया गया था कि निचली अदालत ने व्यक्तिगत चोटों के निश्चित वास्तुकार की पहचान करने में अपनी असमर्थता सही ढंग से व्यक्त की थी।

11. दूसरी ओर, शेख हसीब @तबरक बनाम पर भरोसा रखते हुए राज्य के लिए वकील। बिहार राज्य 1 और धर्म राम

भागरे वी. महाराष्ट्र राज्य ने दावा किया कि एफ़. आई. आर. सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं था और इसका उपयोग या तो खंडन करने के लिए किया जा सकता है।

केवल इसके निर्माता की पुष्टि करना और अन्य गवाहों की नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि

4 (1972) 4 एससीसी 773। 5 (1973) 1 एससीसी 537।

आचार सिंह बनाम। हिमाचल प्रदेश का राज्य

[सूर्या कान्ट, जे।]

क्योंकि वे मृतक से संबंधित थे (यूपी राज्य बनाम का हवाला देते हुए। किशन चंद) या क्योंकि मामूली विसंगतियाँ थीं या अतिशयोक्ति (लीला राम बनाम पर निर्भर)। हरियाणा राज्य ')। गंगाधर बेहरा बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हुए। उड़ीसा राज्य 3 और प्रभु दयाल बनाम। राजस्थान राज्य से यह आग्रह किया गया कि एक अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा असंगत साक्षय को दूसरे को संदेह का लाभ देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

विश्लेषण:

12. इन अपीलों में जो प्रश्न विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय धारा 378 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सी. आर. पी. सी".) में न्यायसंगत ठहराया गया था

ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप करना?

13. आपराधिक न्यायशास्त्र में यह मौलिक है कि प्रत्येक व्यक्ति

लॉर्ड्स ने माना कि अभियोजन पक्ष का कर्तव्य कैदी के अपराध को साबित करना है अंग्रेजी आपराधिक कानून के पूरे जाल में "सुनहरा धागा" था। आज, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 11, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का अनुच्छेद 14 और मानवाधिकारों पर यूरोपीय समझौते का अनुच्छेद 6 सभी अभियुक्त की बेगुनाही का अनुमान लगाने का आदेश देते हैं।

14. सामान्य कानून आपराधिक की एक विशेषता

भारत में न्यायशास्त्र यह भी है कि एक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। अभियोजन पक्ष के लिए यह अनिवार्य है कि

6 (2004) 7 एससीसी 629।

7 (1999) 9 एससीसी 525।

8 (2002) 8 एससीसी 381।

9 (2018) 8 एससीसी 127। 10 10 [1935] एसी 462 (एचएल)

उदाहरण के लिए, साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 113-बी के तहत, अभियुक्त के अपराध को स्थापित करें, सिवाय इसके कि जहां निर्दोषता के अनुमान को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत गारंटीकृत 'मौन का अधिकार' अनुमानित निर्दोषता के पहलुओं में से एक है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की योजना के साथ पढ़ा गया संवैधानिक जनादेश इस धारणा को बढ़ाता है कि

जब तक अभियुक्त दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक निर्दोष होना भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। निर्दोषता की यह धारणा तब दोगुनी हो जाती है जब एक सक्षम न्यायालय भौतिक साक्षय का विश्लेषण करता है, गवाहों की जांच करता है और आरोपी को बरी कर देता है। इस कार्डिनल को बनाए रखना

अमूल्य अधिकारों के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय न्यायालयों ने एक आत्म-संयम नीति विकसित की है, जिसके तहत, जब दो उचित और संभावित विचार उत्पन्न होते हैं, तो निचली अदालत की गवाहों के साथ निकटता और साक्षय के साथ सीधे बातचीत का सम्मान करते हुए अभियुक्त के लिए अनुकूल विचार अपनाया जाता है। ऐसे मामलों में, हस्तक्षेप तब तक नहीं रोका जाता जब तक कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकृति का पता नहीं चलता। 15. इस प्रकार यह एक स्पष्ट सिद्धांत है कि यदि दो विचार संभव हैं, तो उच्च न्यायालय को निचली अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

निर्णय। हालांकि, इस तरह के एहतियाती सिद्धांत को यह दर्शाने के लिए अतिरंजित नहीं किया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत बरी होने के खिलाफ "अपील की रूपरेखा" यह देखने तक सीमित है कि निचली अदालत का दृष्टिकोण असंभव था या नहीं। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में साक्षय का पुनः मूल्यांकन करने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई रोक नहीं है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों (चंद्रप्पा बनाम सहित) में निर्णय दिया है। कर्नाटक राज्य 1 2, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। एम. मधुसूदन राव और रवीन कुमार बनाम। हिमाचल राज्य

प्रदेश 1 4) कि सी. आर. पी. सी. शक्ति, दायरे में अंतर नहीं करता है,

दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों के बीच अधिकारिता या सीमा और यह कि अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून दोनों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है, आत्म-संयम के बावजूद जो दोषमुक्ति के आदेशों से निपटने के दौरान व्यवहार में शामिल किया गया है जहां अभियुक्त की निर्दोषता का दोहरा अनुमान है।

16. तत्काल मामले में निचली अदालत ने ठीक ही कहा कि कई अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में सबूत अराजक थे और नहीं।

11 संगप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य, (2010) 3 एस. सी. सी. 686,10। 12 (2007) 4 एससीसी 415,42।

13 (2008) 15 एस. सी. सी. 582,20-21। 14 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 869,11।

उनकी भागीदारी के बारे में निश्चित दृष्टिकोण बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के विचार को साझा किया और साक्षय के भीतर अतिशयोक्ति और विरोधाभासों के बारे में चिंता व्यक्त की।

अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा कई लोगों को फंसाने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने सुसंगत मामलों के तारों को चित्रित किया।

कुछ अभियुक्तों के खिलाफ सबूत जिन्हें अराजकता के बीच निचली अदालत ने नजरअंदाज कर दिया था। गवाहों के बयानों और अन्य साक्षयों का विश्लेषण करते समय, अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय ने ऐसा सही किया।

17. शिकायतकर्ता नेतर सिंह (पीडब्लू. 1) ने गवाही दी कि जब आरोपी व्यक्तियों ने दरवाजा तोड़ा और उनके घर में प्रवेश किया, तो बुधि

सिंह, अच्छर सिंह, नरिंदर सिंह कुल्हाड़ियों से लैस थे, प्रकाश के पास भाला था, सोधा राम के पास दरांती थी और अन्य आरोपी (जय सिंह और हेम सिंह) के पास डंडे थे। वर्तमान अपीलार्थियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "बूढ़ी सिंह अभियुक्त ने मेरी माँ के सिर पर दो कुल्हाड़ी से वार किए, जबकि नरेंदर अभियुक्त ने दो कुल्हाड़ी से वार किए-एक मेरी माँ के बाएं कान के ऊपर और दूसरा मेरे माँ के बाएं कान के नीचे, और मेरी माँ स्वारी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। अच्छर सिंह और सोधा ने भी मेरे पिता को धार और कुल्हाड़ी से वार किए। पिटाई के परिणामस्वरूप मेरे पिता बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। हेम सिंह और जय सिंह अभियुक्तों ने मुझे डंडा मारा। यह भी उल्लेख किया गया था कि आरोपी ने दरवाजा, खिड़कियां और बर्तन तोड़ दिए थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे वे 2 बजे प्रधान के घर गए: 00 सुबह और बाद में पैदल ही दूर के पुलिस स्टेशन (जोगिंदरनगर) गए और अगली सुबह लगभग 8 से 9 बजे प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दलों के बीच पहले से दुश्मनी थी क्योंकि बुधि सिंह और नरिंदर सिंह

वह जमीन खरीदना चाहता था जहाँ उसने एक घर बनाया था और उसके पिता-बेली राम ने पहले अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था।

18. मृतक की पुत्रवधू मीरा देवी-P.W.11 ने अपनी गवाही में कहा कि बुधि सिंह और नरिंदर सिंह कुल्हाड़ियों से लैस थे, जबकि प्रकाश ने भाला और सोधा राम ने दरांती ले रखी थी। उन्होंने कहा कि "आरोपी बुधि सिंह ने मेरी सास श्रीमती के सिर पर कुल्हाड़ी से दो वार किए। स्वारी देवी जिस पर मेरी सास रो पड़ीं। आरोपी नरिंदर सिंह ने कुल्हाड़ी से दो वार किए।

मेरी सास और सास के कान पर गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। नरिंदर सिंह ने बेली को कुल्हाड़ी के पीछे से मारा। राम ने अपने चेहरे पर और अच्छर सिंह ने [2021] 5 एस. सी. आर. की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया।

बेली राम। सोढा राम ने मेरे ससुर बेली राम के पैर में तेज प्रहार किया। जय सिंह और हेम सिंह ने मेरे पति नेतर सिंह को डंडा प्रहार किया। " उसने कहा कि उसका पति छत पर भाग गया, प्रधान को मामले की सूचना दी और अगले दिन पुलिस के साथ वापस आ गया। उसके पति और ससुर को चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया और उसकी सास के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अपनी जिरह के दौरान, उसने उल्लेख किया कि पुलिस सुबह लगभग 8 से 9 बजे आई थी।

19. घायल गवाह, बेली राम (P.W.12) से भी पूछताछ की गई और उन्होंने कहा कि बुधि सिंह, नरिंदर और आचार सिंह बच्चे को जन्म देने आए थे।

कुल्हाड़ी, जबकि प्रकाश के पास भाला था, सोढा राम के पास दरांती थी और जय और हेम सिंह लाठी से लैस थे। हमलों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि "बुधि सिंह ने मेरी पत्नी स्वारी देवी के सिर पर कुल्हाड़ी के दो वार किए और नरिंदर ने मेरी पत्नी के कान के पास कुल्हाड़ी के दो वार किए और मेरी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। अच्छर सिंह आरोपी ने मेरे सिर के पीछे कुल्हाड़ी से वार किया, जबकि सोढ़ा आरोपी ने मेरे पैर पर कुल्हाड़ी से वार किया। जय सिंह और हेम सिंह ने नेतर सिंह को डंडा और पत्थरों से पीटा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा छत से भाग निकला। यह उल्लेख किया गया था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उनका बहिष्कार करने के लिए एक समिति का गठन किया था और इस प्रकार गाँव के किसी भी व्यक्ति ने उनके पक्ष में सबूत नहीं दिया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि "आरोपी नरिंदर सिंह ने भी मेरे चेहरे पर कुल्हाड़ी का मुड़ा हुआ हिस्सा दिया।

कान। " इसके बाद वह बेहोश हो गए और अस्पताल में उनकी चिकित्सकीय जांच की गई।

20. डॉ. डी. डी. राणा, जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया और घायलों (नेतर सिंह और बेली राम) की चिकित्सकीय जांच की।

पी. डब्ल्यू. 3 के रूप में जांच की गई। स्वारी देवी के संबंध में, उन्होंने बाएं लौकिक क्षेत्र में एक घाव का वर्णन किया, जो उन्होंने कहा, अदालत में दिखाए गए कुल्हाड़ी के कारण हो सकता है। बेली राम की चिकित्सकीय जांच करने पर, उन्होंने कहा कि उन्हें चेहरे और खोपड़ी के पिछले हिस्से पर घाव, दाहिने पैर पर घाव, चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर और एक काली आंख मिली। उन्होंने कहा कि कोर्ट में दिखाए गए कुल्हाड़ी से घाव संभव थे और बाकी लाठी के प्रहार से संभव थे। जिरह के दौरान, उन्होंने कहा कि बेली राम पर घाव हो सकते हैं

धारदार पत्थर पर गिरने से और कठोर सतह पर गिरने से अन्य चोटें लगना संभव था। नेतर सिंह (पी. डब्ल्यू. 1) की चिकित्सकीय जांच के बाद, कहा जाता है कि उन्हें दाहिने पैर, बाएं पैर और माथे पर खरोंच मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चोटें संभवतः छड़ी के प्रहार का परिणाम थीं और गिरने से भी हो सकती हैं।

इसका समर्थन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट द्वारा भी किया जाता है जिसमें कहा गया है कि एक तेज धार वाले हथियार से सिर पर एक घातक चोट लगी है और चिकित्सा अधिकारी की गवाही है कि उसकी चोट अदालत में दिखाए गए कुल्हाड़ी के कारण हुई हो सकती है। इस पर विचार करते हुए, निचली अदालत का यह भ्रम कि स्वारी देवी की घातक चोट किस वजह से लगी, अनुचित और अनावश्यक था। 22. यह तथ्य कि बुधि सिंह ने स्वारी देवी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि एक बूढ़ी महिला के महत्वपूर्ण शरीर के हिस्से पर कुल्हाड़ी से वार करने से उसकी मौत हो सकती है, आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत अपराध के लिए उसकी सजा को सही ठहराता है। जहाँ तक अच्छर सिंह का संबंध है, हम पाते हैं कि बेली राम को लगी चोटें (चेहरे पर कटे घाव और चेहरे की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ पीछे की खोपड़ी) गंभीर और साधारण चोटों का एक संयोजन होने के कारण धारदार और कुंद दोनों हथियारों के कारण हुई थीं। यह देखते हुए कि सभी गवाह बेलीराम पर कुल्हाड़ी से अच्छर सिंह के हमले के बारे में एकमत रहे हैं, आई. पी. सी. की धारा 326 और 323 के तहत उनकी दोषसिद्धि को दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

23. अपीलार्थियों का तर्क कि पी. डब्ल्यू. 1, P.W.11 या P.W.12 की गवाही पूरी तरह से अविश्वसनीय और साक्षय के साथ असंगत थी।

डॉक्टर (पीडब्लू. 3) और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अस्वीकार्य है। जैसा कि पहले देखा गया है, अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मृतक को लगी चोटों का अतिरंजित विवरण दिया है। लेकिन उनके पास है,

लगातार अपदस्थ किया कि सिर की चोट जो घातक साबित हुई, बुधि सिंह के कारण हुई थी। उनका बयान, इस हद तक, सुसंगत है और रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्षय के अनुरूप है। इस तथ्य के बावजूद कि घटना के कमरे के अंदर कई व्यक्तियों की उपस्थिति पैदा हुई

अराजकता और ऐसे लोगों में से कुछ दर्शक या बाड़ लगाने वाले थे, चश्मदीद गवाह यह देखने में सक्षम हुए हैं कि मृतक को घातक झटका बुध सिंह के अलावा किसी और ने नहीं दिया था।

24. यह जोरदार रूप से तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्षय अतिरंजित है और इस प्रकार गलत है। कैम्ब्रिज शब्दकोश परिभाषित करता है

" अतिशयोक्ति "के रूप में" कुछ बड़ा, अधिक महत्वपूर्ण, बेहतर या बदतर बनाने का तथ्य जो वास्तव में है "। मरियम-वेबस्टर परिभाषित करता है [2021] 5 एस. सी. आर.

सामान्य अनुपात से परे "। ये अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट रूप से सुझाव देती हैं कि एक 'अतिरंजित कथन' की उत्पत्ति एक सच्चे तथ्य में निहित है, जिसमें काल्पनिक परिवर्धन किए जाते हैं ताकि इसे और अधिक भेदक बनाया जा सके। इसलिए, प्रत्येक अतिशयोक्ति में 'सत्य' के तत्व होते हैं। सत्य के तत्व के बिना कोई अतिरंजित कथन संभव नहीं है। जिस पर दूसरी ओर, एडवांस लॉ लेक्सिकन "फाल्स" को "गलत, असत्य; सही या सच के विपरीत" के रूप में परिभाषित करता है। ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त शब्दकोश में कहा गया है कि "गलत" गलत है; सही या सच नहीं है। इसी तरह की व्याख्या अन्य शब्दकोशों में भी है। इस प्रकार, एक 'अतिरंजित संस्करण' और एक 'गलत संस्करण' के बीच एक स्पष्ट अंतर है। एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन में सच्चाई और झूठ दोनों होते हैं, जबकि एक झूठे कथन में सच्चाई का कोई कण नहीं होता है ('सच' के 'विपरीत' होने के कारण)। यह अच्छी तरह से कहा जाता है कि तिल से पहाड़ बनाने के लिए, तिल का अस्तित्व मुख्य रूप से होना चाहिए। एक न्यायालय, इस तरह के भेद को ध्यान में रखते हुए, 'झूठ' से 'सत्य' का प्रसार करने और अतिशयोक्ति के मामले में भूसे से अनाज निकालने के लिए बाध्य है। यह केवल एक ऐसे मामले में है जहां अनाज और भूसी इतने अटूट रूप से जुड़े हुए हैं कि उनके अलग होने में कोई वास्तविक सबूत नहीं बचा है, कि पूरे सबूत को त्याग दिया जा सकता है। 15

25. राज्य के विद्वान वकील ने सही मायने में गंगाधर पर भरोसा किया है

बेहरा (सुप्रा) ने तर्क दिया कि उन मामलों में भी जहां साक्षय के एक बड़े हिस्से में कमी पाई जाती है, यदि शेष अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है, तो दोषसिद्धि इसके आधार पर हो सकती है। हरि चंद बनाम में यह न्यायालय। दिल्ली राज्य 1 ने अभिनिर्धारित किया कि:

" 24. ..... जहाँ तक इस विवाद का संबंध है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक मामले में गवाहों के साक्षय की सराहना करते हुए

आपराधिक मुकदमा विशेष रूप से चश्मदीद गवाहों के मामले में

मैक्सिम फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्निबस लागू नहीं हो सकता है और अदालत को भूसी से अनाज निकालने का प्रयास करना पड़ता है। यह है।

बेशक यह सच है कि जब कहा जाता है कि एक गवाह ने मुकदमे के चरण में अपने साक्षय में अतिशयोक्ति की है और कई और अभियुक्तों को शामिल करने की कोशिश की है और यदि साक्षय का वह हिस्सा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है तो साक्षय का शेष हिस्सा होना चाहिए

सावधानी से जांच की जाती है और अदालत को यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या सबूत के स्वीकार्य हिस्से की पुष्टि होती है

15 सुच्चा सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (2003) 7 एस. सी. सी. 643,18। 16 6 (1996) 9 एससीसी 112।

आचार सिंह बनाम। हिमाचल प्रदेश का राज्य

[सूर्या कान्ट, जे।]

अभिलेख पर अन्य साक्षय ताकि स्वीकार्य भाग हो सके

सुरक्षित रूप से निर्भर।

(जोर दिया गया)

26. ऐसा कोई लाभ नहीं है कि हत्या की मौतों को उनके लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। न्याय करो। न्यायालय को सच्चाई तक पहुंचने की अपनी खोज में यह करना चाहिए कि काली रेत के ढेर से सोना निकालने के लिए गंभीर प्रयास। पवित्र। कर्तव्य प्रामाणिकता का पता लगाना है। यह केवल तब होता है जब न्यायालय, इसके बावजूद सर्वोत्तम प्रयास, इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुँचने में विफल रहता है कि संदेह का लाभ है विस्तारित।

27. दूसरों की तुलना में एक चश्मदीद गवाह को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। बयानों में अतः पी. डब्ल्यू. 1, P.W.11 और P.W.12 का तदनुसार विश्लेषण किया जाना चाहिए: जबकि अतिशयोक्ति और झूठ के बीच के अंतर का ध्यान रखना। हम पाते हैं कि उनके बयानों से सच्चाई को आसानी से निकाला जा सकता है। निचली अदालत स्पष्ट रूप से गंभीर त्रुटि में पड़ गई और विश्वसनीय की अनदेखी की और एक आधारहीन आधार के साथ आगे बढ़ते हुए सुसंगत साक्षय कि चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए अतिरंजित बयान उनके कथन को गलत साबित करते हैं।

28. अपीलार्थियों के इस तर्क के संबंध में कि एक अपीलीय न्यायालय जब तक यह नहीं पाया जाता है तब तक निचली अदालत के फैसले को उलटना उचित नहीं है "विकृत" होने के लिए, यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि तत्काल मामले में, ट्रायल कोर्ट कई विरोधाभासों से अभिभूत होने के कारण पहचान करने में विफल रहा और अपीलार्थियों के विरुद्ध सामग्री स्वीकार्य साक्षय की सराहना करते हैं। द. ट्रायल कोर्ट ने खुद को गलत निष्कर्ष पर पहुँचाया। बाबू को उद्धृत करने के लिए यह पर्याप्त है। वी. केरल राज्य "जहाँ इस न्यायालय ने कहा कि:

" 12. ..... बरी किए जाने के निर्णय पर विचार करते हुए,

अपीलीय न्यायालय को अभिलेख पर पूरे साक्षय पर विचार करना होगा,

ताकि इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि क्या मुकदमे के विचार न्यायालय विकृत या अन्यथा अस्थिर थे। अपीलीय

स्वीकार्य साक्षय और/या ध्यान में रखा गया था कानून के विपरीत साक्षय को रिकॉर्ड में लाया गया।

(जोर दिया गया)

29. बाद में कई निर्णय लिए गए (जिनमें अरुवेलु बनाम। राज्य

(उपर्युक्त), त्रिवेणी रबर और प्लास्टिक बनाम। सी. सी. ई. 1 और बसलिंगप्पा बनाम।

17 (2010) 9 एससीसी 189।

18 1994 उदाहरण के लिए (3) एस. सी. सी. 665,13।

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुदिबसप्पा) जहाँ इस न्यायालय ने दृढ़ता से अभिनिर्धारित किया है कि साक्षय के विपरीत निष्कर्ष "विकृत" है। अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री की अज्ञानता में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष निस्संदेह "विकृत" था और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त था।

30. द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की 'संभावना' का परीक्षण करते हुए

निचली अदालत में, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि न तो रिकॉर्ड में कोई कारण है और न ही अपीलकर्ताओं ने यह सुझाव देने के लिए कोई बचाव साक्षय दिया है कि क्यों नेतर सिंह (पीडब्ल्यू 1), उनकी पत्नी मीरा देवी (P.W.11) या उनके पिता बेली राम (P.W.12) वास्तविक दोषियों को स्वतंत्र रूप से जाने देंगे और इसके बजाय मामूली मुद्दों पर समझौता करने के लिए अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसायेंगे। बल्कि, शुरू से ही (एफ़. आई. आर.) अपने अंतिम बयान तक, शिकायतकर्ता और अन्य दो घायल/चश्मदीद गवाह लगातार बूढ़ी सिंह पर स्वारी देवी की हत्या करने और अच्छर सिंह पर बेली राम को गंभीर रूप से चोट पहुँचाने का आरोप लगाते रहे हैं। उनके नेत्र संबंधी संस्करण की रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्षय द्वारा विधिवत पुष्टि की जाती है। दलीप सिंह बनाम में यह न्यायालय। पंजाब राज्य 0 ने राय दी कि:

" 26 ..... आम तौर पर, एक करीबी रिश्तेदार स्क्रीन करने वाला आखिरी व्यक्ति होता है।

असली अपराधी और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाता है। यह है। सच है, जब भावनाएँ अधिक होती हैं और इसके लिए व्यक्तिगत कारण होता है

शत्रुता, कि एक निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति है जिनके खिलाफ एक गवाह को दोषियों के साथ-साथ दुर्भावना है,

लेकिन इस तरह की आलोचना की नींव रखी जानी चाहिए और

एक नींव होने से दूर संबंधों का तथ्य अक्सर एक होता है

सत्य की निश्चित गारंटी। लेकिन हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। व्यापक सामान्यीकरण। प्रत्येक मामले का निर्णय इसके आधार पर किया जाना चाहिए

अपने तथ्य। हमारे अवलोकन केवल इस बात का मुकाबला करने के लिए किए जाते हैं कि क्या है

इसलिए अक्सर एक सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने मामलों में आगे रखा

विवेकपूर्ण। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को होना चाहिए

अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित और नियंत्रित किया जाए।

(जोर दिया गया)

इस निर्णय का आमतौर पर इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में पालन किया गया है।

19 (2019) 5 एससीसी 418,31। 20 ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364,26।

21 (2019) 19 एस. सी. सी. 567,14. 22 (2019) 15 एस. सी. सी. 344 14।

23 (2018) 7 एस. सी. सी. 429,29।

24 (2013) 12 एस. सी. सी. 765,13.

आचार सिंह बनाम। हिमाचल प्रदेश का राज्य

[सूर्या कान्ट, जे।]

31. के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों पर आते हैं

अपीलकर्ताओं ने कहा कि चूंकि कुल्हाड़ी एक सार्वजनिक स्थान से बरामद की गई थी, इसलिए इसे बुधि सिंह के कब्जे में नहीं रखा जाना चाहिए था या कि नरिंदर सिंह (जिनके साथ समानता मांगी गई थी) से भी कुल्हाड़ी बरामद की गई थी, इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान समुदाय था

हिमाचल जहाँ कुल्हाड़ी जैसे औजार हर किसी के घर में पाए जाते हैं। यह तर्क कि घटना स्थल संदिग्ध था क्योंकि वहाँ खून था

P.W.16-ASI जैसी राम द्वारा अपदस्थ किए गए घर के बाहर पगडंडी, कोई बल नहीं ले जाती है। कहीं और यादृच्छिक रक्त के निशान की उपस्थिति इस तथ्य पर संदेह नहीं कर सकी कि यह घटना शिकायतकर्ता के घर में हुई थी जहाँ से उसी गवाह ने लाठियाँ, खून से सना हुआ पत्थर, कांच के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े और बचा हुआ भोजन आदि बरामद किया था। यह तथ्य कि ए. एस. आई. को रक्त के निशानों की जांच करने के लिए आवश्यक या सामग्री भी नहीं मिली, यह दर्शाता है कि जांच के निष्कर्षों पर उनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ा। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्र गवाह लौहलू राम ने भी शिकायतकर्ता के घर से दरवाजे के टूटे हुए टुकड़े, टूटे हुए बल्ब, पत्थर, खून से सना मिट्टी आदि की बरामदगी की पुष्टि की।

32. कई कथित राहगीरों की गैर-जाँच अच्छी तरह से समझाई गई है क्योंकि तथ्यों से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के परिवार ने पहले मुकदमा दायर किया था।

गाँव के कुछ लोगों के साथ और उनमें से अधिकांश ने पीड़ित परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया था। यह तथ्य समझ में आता है कि उन नौ व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिन पर शुरू में प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक उद्धृत या संभावित गवाह से पूछताछ करे। जब तक अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे सबूत के परीक्षण का सामना कर सकता है, तब तक सभी या प्रत्येक गवाह से पूछताछ न करना कोई मायने नहीं रखता है।

33. सरवन सिंह बनाम में यह न्यायालय। पंजाब राज्य 2 5 का था

देखें कि:

" 13 ..... अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर निर्भर करती है और यह एक तार्किक परिणाम है कि यदि अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करना है तो उसे अपने गवाह चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। अदालत अभियोजन पक्ष को अपने गवाह के रूप में एक या दूसरे गवाह से पूछताछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अधिक से अधिक, यदि किसी भौतिक गवाह को रोक दिया जाता है, तो अदालत अभियोजन पक्ष के खिलाफ

प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है। कानून अच्छी तरह से तय है कि अभियोजन पक्ष केवल ऐसे गवाहों को पेश करने के लिए बाध्य है जैसे

25 (1976) 4 एस. सी. सी. 369,13.

अभियोजन पक्ष की कहानी को उजागर करने के लिए आवश्यक हैं। में।

अन्य शब्दों में, के खिलाफ एक प्रतिकूल अनुमान से पहले

अभियोजन चलाया जा सकता है यह अदालत की संतुष्टि के लिए साबित किया जाना चाहिए कि जिन गवाहों को रोका गया था वे चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने वास्तव में घटना को देखा था और इसलिए मामले को साबित करने के लिए सामग्री थे। अभियोजन पक्ष के लिए एक ही बिंदु पर गवाहों के बाद गवाहों को गुणा करना आवश्यक नहीं है; यह सबूत की मात्रा के बजाय गुणवत्ता है जो मायने रखती है। तत्काल मामले में, चश्मदीद गवाहों के साक्षय में कोई कमजोरी या इसकी आंतरिक योग्यता में कोई स्पष्ट दोष नहीं है।

(जोर दिया गया)

34. इसी तरह, मृत्यु के वास्तविक समय पर पी. डब्ल्यू. 3-डॉ. डी. डी. राणा के बयान पर निर्भर संदेह विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि वे इसके अलावा यह बताते हुए कि मृत्यु और पोस्टमार्टम के बीच का समय

'10 घंटे के भीतर', ने यह भी बयान दिया है कि स्वारी देवी की मृत्यु और चोट के बीच का समय '5-10 मिनटों के भीतर' था, जिससे अभियोजन पक्ष के गवाहों का समर्थन किया गया जिन्होंने बयान दिया कि चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

35. नरिंदर सिंह के मामले पर आते हुए, जिनके बरी होने के फैसले को उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है, यह इंगित करना अनिवार्य है कि एफ. आई. आर., हालांकि पूरी घटना का विश्वकोश नहीं है, लेकिन इसका सबसे सहज विवरण है। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि शिकायतकर्ता जो घटना का अपना विवरण दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए रात में सात घंटे पैदल चला था, वह नरिंदर सिंह द्वारा अपनी मृत माँ पर घातक हथियार से घातक हमले का उल्लेख करना भूल जाएगा। इस तरह शिकायतकर्ता की ओर से एक बड़ी चूक नरिंदर सिंह के खिलाफ उसके विलंबित आरोपों के संबंध में अदालत में उसकी गवाही का खंडन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा साक्षय भी नरिंदर सिंह के खिलाफ इस तरह के आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय ने केवल बुधि सिंह और आचार सिंह के खिलाफ सुसंगत और पुष्ट साक्षय पर कार्रवाई की है जो नरिंदर सिंह के मामले में स्पष्ट रूप से गायब था।

36. इसी तरह, P.W.11 के बयान पर भरोसा करते हुए कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने से पहले नहीं आ सकती थी, यह तर्क नहीं है

अभियोजन पक्ष के मामले को विफल करें क्योंकि यह एक मामूली विरोधाभास है क्योंकि P.W.16-ASI जैसी राम ने बयान दिया है कि वह 24.02.1996 पर दोपहर 1 बजे शिकायतकर्ता के घर पहुंचा था। यह तर्क कि कोई आचार सिंह v नहीं था।

हिमाचल प्रदेश का राज्य

[सूर्या कान्ट, जे।]

बुधि सिंह द्वारा अपनी बेटी की शादी के दिन अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई शुरू करने का कारण भी अपीलार्थियों की मदद नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से बताया है कि उनकी बेटी की शादी संपन्न हुई थी घटना की तारीख से दो दिन पहले और इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि क्या संबंधित समय पर शादी का समारोह चल रहा था। यहाँ तक कि बुधि सिंह ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में ऐसा नहीं कहा है।

37. उपरोक्त चर्चा के आलोक में और एक गहन अध्ययन पर

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के अभिलेखों के अनुसार, हम इस बात से आश्वस्त हैं कि उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के विकृत निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का हकदार था और उसने भूसी से अनाज को अलग करके न्याय के गर्भपात को रोका है जिससे अपीलार्थियों को दोषी ठहराया जा सकता है।

निष्कर्ष:

38. उपर्युक्त कारणों से, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। अच्छर सिंह को आई. पी. सी. की धारा 452,326 और 323 के तहत दोषी ठहराया गया और

उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302 और 452 के तहत बुधि सिंह की दोषसिद्धि बरकरार रखी गई है। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उन्हें अपनी शेष सजा काटने का निर्देश दिया जाता है।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन